Volume : 1 | Issue : 4 | April 2012 ISSN - 2250-1991

Research Paper Sociology

Dalit Nari : Sthan, Paristithi avam Samsya
दलित नारी : स्थान, परस्थिति एवं समस्याँ

* Dr. H.L. Chavda

* अध्यक्ष, समाजशास्त्र भवन, भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर

० प्राक्कथन :

बीसवी सदी के साठोत्तरी में अमरीका से स्त्रयों के अभ्यास का प्रारंभ हुआ | भारत में ई.स. १९७५ के अन्तराष्ट्रीय नारी वर्ष के बाद इस शब्द समूह का अभ्यास विषय के रूप में संशोधित किया जाने लगा | इस के बाद में स्त्रीयों के अभ्यास विषयक संशोधन जारी रहा है |

मैत्रेयी कृष्णराज - " स्त्रीयों के अभ्यासो को" समाज के रूप में, जाग्रति के रूप में तथा क्रिया के रूप में देख रहे है |

"स्त्रीयों के परप्रिेक्ष्य से स्त्रयों का अभ्यास वास्तव में स्त्रयों का अभ्यास कहा जाता है जब की "स्त्रयों के सामने द्रष्टि बिंदु से देखना" उसे नारी अभ्यास कहा जाता है |

'नारीवाद' नारीमुक्ति की मानवतावादी विचारधारा एवं प्रतिक्रिया है | नारीवाद परप्रिेक्ष्य का अर्थ है | "स्त्रीयों की परस्थितियाँ, समाज, नारदिमन, भेद-भाव इत्यादि के प्रति सावधान होकर उसकी स्थितियाँ परविर्तन लाना |

स्त्रयों की परस्थितियों को समजने हेतु उसका दरज्जा (status), सत्ता (power) स्वायतत्ता (autonomy), के खयालो को उपयोग में लिए जा सकते है |

(1) स्त्री का दरज्जा(status) : आय, संपति, तक, तालीम, आरोग्य, शिक्षा, व्यवसाय एवं प्रथाओं के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए |

(2) स्त्री सत्ता (power) : सत्ता परस्थितियों का घटक तत्व है | स्त्री आधीन है क्योकि वह सत्ता विहीन है | उस लिए दूसरों के द्वारा उस पर हुकम चलाना, इच्छा शक्ति थोपना जैसी प्रवृति होती रहती है |

(3) स्त्री स्वायतत्ता (autonomy) : स्त्री स्वतंत्र रूप से दूसरों के हको की रक्षा करती हुई अपने हक जता सकती है | जिसके आधार पर अपना भावि भी निश्चित कर सकती है |

भारत देश पुरुष प्रधान समाज से बना होने के कारन 'नारी दमन' के मूल कुटुंब, ज्ञाति, वर्ग, समुदाय, एवं मूल्य तथा रिवाजो की परम्पराओं कम जड़े हुए है | उन्नीसवी सदी से 'नारी' की स्थितियाँ में सुधार हेतु भरपूर प्रयास हो रहे है | कुछ अंश तक सुधार हेतु भरपूर प्रयास हो रहे है | कुछ अंश तक सुधार भी आया है मर जिस रूप हाँ सुधार मूल से होने चाहिए उसमे हमें आज भी कही ण कही कमी महसूस हो रही है |

'भारतीय नारी' दो वास्तविकताओं से जी रही है | (१) क़ानूनी वास्तविकता एवं (२) सामाजिक वास्तविकता क़ानूनी वस्ताविकतानुसार औपचारिक एवं सैधांतिक रूप से स्त्रीयों का स्थान पुरुष के समान है |

सामाजिक वास्तविकता में वह अब तक चरितार्थ नहीं हो पा रहा है |

० डॉ. नीरा देसाई के अनुसार :
स्वतंत्रता पूर्व भारत में विविध इतिहासविदो, सामाजिक मानवशास्त्रिओं, एवं विद्याशास्त्रीओं द्वारा भारतीय नगरीय स्त्रीयों पर अभ्यास उच्च ज्ञातिकी किया गया था जिसमे वैदिक युगीन स्त्रीयों का भव्य एवं मोहक चित्र खिचे छाये | इसके बाद उत्तरोत्तर स्त्रयों की अवनति का चित्र उभरने लगा है |

भारतमें स्वतंत्रता पूर्व एवं बादमें स्त्रयों का अभ्यास जरी रहा पर **Towards Eqality 1975**" को भारत सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के पश्चात 'स्त्रयों के अभ्यासों' का प्रमाण बढ़ा | उन अभ्यासो के नगरीय एवं ग्रामीण स्त्रीयों पर अभ्यास किया जाने लगा परंतु दलित नारी एवं उसकी समस्याओं पर आज तक बहोत कम संशोधन हुआ है |

प्रस्तुत शोध पत्र के विषयानुसार दलित नारी की परस्थितियाँ, समाजमे स्थान, एवं उदभवित समस्याओं विषयक है | विशेष रूप से भावनगर जिल्ले के संदर्भमे |

स्वतंत्रता के बाद भारतीय व्यवस्था को कुतरने वाली सहस्र अर्थात 'ज्ञातिप्रथा' जिसका महत्तम भोग दलित वर्ग बनता जा रहा है | ई.स. १९५५ में अस्पृश्यता निवारण हेतु 'नागरिक हक्क शिक्षात्मक अधिनियम बनाया गया था | इसके बावजूद भी अत्याचार होते रहे है | इसके बाद १९७६ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स' नामक नया अधिनियम बनाया गया | जिसकी भी असरकारकता कम होने के कारण नये अधिनियम के रूपहो "धी शेड्यूल कास्ट एण्ड शेड्यूल ट्राइब्स (प्रविन्स ऑफ एट्रोसिटीज) इस १९७९ में जनवरी को लागु किया गया |

- भारतीय बंधारण के अनुच्छेद १७ के अनुसार अस्पृश्यता नाबूद करने का आदेश हुआ |
- अनुच्छेद-१५ के अनुसार धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इत्यादी, आधारित भेद-भाव मिटाने का आदेश हुआ |
- अनुच्छेद-१६ के अनुसार राज्य में नौकरियाँ संबंधी भेद-भाव दूर करने का आदेश हुआ |
- अनुच्छेद-१४६ अनुसार कमजोर वर्ग के हितों की विशेष रक्षा का आदेश हुआ |
- अनुच्छेद-३३० एवं ३३२ के अनुसार अनामत जगहों का आरक्षण लागु हुआ |

दलित वर्ग हेतु उपर्युक्त व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी आज स्वतंत्रता के ६० साल बाद भी दलित वर्ग की पहचान तो जाति आधारित ही की जाती है | कुछ अंश में आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, रहन-सहन के रूप के परविर्तन जरुर हुए है |

ग्रामीण एवं नगरीय समाज में दलितो का स्थान एवं पहचान परंपरा अनुसार ही पायी जाती है जिसमे भी 'दलित स्त्री' की स्थिति तो दलित ही महसुस हो रही है | "कागजो पर अंकित दलित स्त्री की स्थिति वास्तविक नहीं है | आर्थिक रूप से विकास हो रहा है परंतु सामाजिक क्षेत्र में असमानता येन-केन प्रकरेन महसूस हो रही है |

आलेख के विषयानुसार भावनगर जिले की दलित स्त्रीयों की स्थितियां विषय जानकारी अनुभवजन्य निरिक्षण एवं गहन अभ्यास के आधा पर प्रस्तुत की गई है | दलित नारी से पूर्व दलित वर्ग के अनुसार गाणितीक जानकारियां निम्नानुसार है |

० दलित नारी :- स्थान
दलितो में दलित 'दलित नारी' है जिसका सामाजिक स्थान (status) पुरुषों से निम्न रहा है | मुख्य अधिकार पुरुष केन्द्रित रहें है | कुछ अंश तक हक जरुर प्राप्त कर सके पर पुरुष सामान, स्थान, नहीं बना पाई | ग्राम्य एवं नगरीय दलित समाज में यह भेद आज भी दिखाई दे रहा है | ठीक उसी प्रकार शिक्षित एवं अशिक्षितों के बिच व्यवसाय, रहन-सहन जैसे मानदंडो में भेद-भाव पाया जा रहा है | समग्र रूप से निम्न रूपेण बदिुओं अनुसार वर्णन किया जा सकता है |

1. परिवार में दलित स्त्री का स्थान |
2. संपत्ति में स्त्री का अधिकार |
3. निर्णय प्रक्रिया में स्त्री का स्थान |
4. सामाजिक, धार्मिक प्रसंग में स्त्री की साजेदारी |
5. सर्व सामान्य क्षेत्र में स्त्री का स्थान |
6. व्यवसाय और स्त्री का स्थान |
7. विवाह संस्था और स्त्री का स्थान |

१.परिवार में दलित स्त्री का स्थान परिवार में दलित स्त्री का स्थान | ग्राम्य एवं नगरीय समाज में सामान्य भे को देखते हुए परिवार में दलित स्त्री को सन्मानित स्थान दिया जा रहा है | भूतकाल में मारपिटाई करना, घूंघट प्रथा, गृहकार्य इत्यादी में जो पुरुष मात्र का वर्चस्व था जिसमे आज दलित स्त्रीओं को भी सहभागी बनाया जा रहा है |

२. संपत्ति में स्त्री का अधिकार : संपत्ति के अधिकारों में दलित स्त्री का स्थान निम्न पाया जा रहा है | मकान, जमीन, यंत्र, बैंक में स्वतंत्र पूँजी निवेश इत्यादी में हिस्सेदारी का प्रमाण कम है | जो व्यावसायिक स्त्रियाँ हे वह स्वतंत्र रूप के संपत्ति संबंधी निर्णय ले रही है | पर आखरी अधिकार तो पुरुष का ही रहता है | विवाह के बाद पुत्री को अलग संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जा रहा है |

३.निर्णय प्रक्रिया में स्त्री का स्थान |: परिवार में शुभ-अशुभ अनेक प्रसंगों में वर्त्तमान में स्त्रीमत पर विचार किया जाता है | अगर स्त्री का अलग स्वतंत्र मत है तो भी पुरुष उसे स्वीकार करने लगा है | संतान जन्म,संतान विवाह, संपत्ति खरीद, परिवार के अन्य सभ्यो को मदद इत्यादी निर्णय में स्त्री अपनी आवाज उठा सकती है और उसका स्वीकार भी करा सकती है | नगरीय परिवारों में संयुक्त निर्णय की प्रक्रिया दिखाई पड रही है |

४.सामाजिक, धार्मिक प्रसंग में स्त्री की साजेदारी | धार्मिक प्रसंग, विवाह के प्रसंग, शुभ प्रसंगों में स्त्री बराबर की साजेदारी स्वीकारी गई है | अपने कुलदेवी-देवताओं को नैवेध दन एवं प्रार्थना के प्रसंगों में पुरुष को अधिक महत्त्व आज भी दिया जा रहा है |

५.सर्व सामान्य क्षेत्र में स्त्री का स्थान | राजकीय एवं सर्व सामान्य क्षेत्रो में दलित स्त्रिओं की हिस्सेदारी अल्प रही है | वर्तमान के निर्णय अनुसार पंचायतो में अनामत प्रथा की अमलवारी राजकीय पक्षों में दलितो को स्थान जुरु मीलता है | पर दलित स्त्रिओं का इन क्षेत्रोमे स्थान न्यूनतम रहा है |

६.व्यवसाय और स्त्री का स्थान | ग्राम्य समाज में खेत मजदूरी के रूप में कृषि रोजगारी का साधन रही है | ग्राम्य क्षेत्र में कड़ी महेनत का परिणाम ही अर्थ उपार्जन है | नगरीय समुदाय में सरकारी नौकरिओंमे दलित स्त्रिओं का प्रमाण अल्प है | प्राइवेट सेक्टर मे ईन स्त्रिओं का स्थान न के बराबर है | स्वतंत्र व्यवसाय करने वाली स्त्रिओं की बहुत कम प्रमाण में पाई जाती है |

७.विवाह संस्था और स्त्री का स्थान | जीवनसाथी पसंदगी, विधिवा पुनःलग्न दहेज प्रथा, विवाहवय, विवाहखर्च इत्यादी में बीन दलितो का प्रमाण हावी हो रहा है | उसमे भी ग्राम्य और नगरीय समुदाय में अलगाव दिखाई पड रहा है | ग्राम्य क्षेत्रो में पारंपरा अनुसार जीवन साथी पसंद किया जाता है | जब की नगरीय क्षेत्र में शिक्षित युवतियाँ स्वतंत्र विचार से जीवन साथी पसंद करती है | मंगनी में युवक युवक-युवती के घर आ सकता है | ऐसे शुभ प्रसंगों में बीन दलित को भी आमंत्रित किया जाता है | विवाह प्रसंग किसी हॉल या विशाल जगह पर आयोजित किये जाते है | युवतियाँ अपने कपड़ों और गहनों में स्वतंत्र विचार से पसंद करती है |

० दलित नारी - स्थिति और प्रश्न :- ह्यूमन राइट्स वोच एण्ड सेन्टर फॉर ह्यमन राइट्स एण्ड ग्लोबल जस्टिस ने फरवरी २००० से पूर्व अपनी रिपोर्ट "छदम भेदभाव" दी इलिमिनेशन ऑफ रेरियल डिस्क्रिमिनेशन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में १६ करोड से भी अधिक अछूतो के साथ अमानवीय भेद-भाव पूर्ण व्यवहार आज भी किया जा रहा है | छुआ-छूत को कार्यरूप लेकर अपमान एवं शोषण किया जाता है |

नौकरी-पेशा और मजदूरी करनेवाले ग्रामीण एवं नगरीय दलितों के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है जिसमे भी खास करके मजदूरी करने वाली 'दलित नारी' की स्थिति तो ईन सबसे दयनीय है | प्रस्तुत शोध ग्रामीण एवं नगरीय दलित नारी की सामाजिक परिस्थिति और प्रश्नों को उदघाटित करने के लिए सक्षम है | प्रस्तुत अभ्यास में शिक्षा, गरीबी, स्त्री-पुरुष, आयुष्य, गुन्हाहित कृत्य सीमांत कामदार, विवाह वय समस्याओ को उदघाटित करने का यथासंभव प्रयत्न किया गया है |

१. जनसंख्या

दलित वर्ग की जनसंख्या - २००१				
भारत 1665.76	प्रतिशत (16.20%)	गुजरात 35.93	प्रतिशत (07.10%)	
पंजाब				28.90%
हिमाचल प्रदेश पश्चिम बंगाल उत्तरप्रदेश गुजरात				24.70% 23.00% 21.00% 07.10%

भारत के प्रमुख राज्य में **S.C**. की जनसंख्या (प्रतिशत में)

ई..स. १९९१ की जनगणनानुसार S.C. की कुल जन संख्या 81.46% महिलाएँ ग्राम्य क्षेत्र में निवासीत है 18.05% महिलाएँ नगरमे निवासीत है |

२. पुख्त वय के वर्ग में साक्षरता का प्रमाण प्रतिशत में

सामान्य अनुसूचित जाति	भारत			गुजरात		
	कुल %	पुरुष %	स्त्री %	कुल %	पुरुष %	स्त्री %
	64.08	64.08	69.05 70.05	69.01 70.05	79.07 82.06	57.08 57.06

गुजरात का जाति अनुसार विभाजन (प्रतिशतो में)

	कुल %	पुरुष %	स्त्री %
महयावंशन	73.09	85.03	91.06
भाभी	65.07	77.07	53.60
मेघवाल	58.01	73.05	41.08
सेनवा	65.03	77.09	51.07
गरोड़	82.04	94.02	69.08
नाडिया	67.03	78.09	55.02

ई.स. 1991 के अनुसार

सामान्य प्रतिशत		अनुसूचित जाति प्रतिशत	
कुल	403.36	कुल	16.29
ग्राम्य	301.53(74.75%)	ग्राम्य	54.00(81.46%)
नगर	101.83(25.25%)	नगर	12.29(18.54%)

ई.स. 2000 के अनुसार

कुल	प्रतिशत
ग्राम्य 02,180,441	06.87%
नगर 01,412,274	07.46%

उपर्युक्त संशोधनो के आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुँचते है की ई.स.१९९१ के अंको अनुसार साक्षरता का प्रमाण बीन दलितो की तुलना में कम रहा है | उसमे दलित स्त्रिओं का स्थान तो उससे भी निम्न पाया गया है | अनुसूचित जाति में साक्षरता का प्रमाण निम्नानुसार पाया गया है |

 ISSN - 2250-1991

ई.स. 1991		ई.स. 2001	
पुरुष	41.70%	कुल	70.05%
स्त्री	13.93%	पुरुष	82.06%
गुजरात	43.53%	स्त्री	**57.06%**

मानवीय विकास की सूची अनुसार भारत का स्थान विश्व स्तर पर १२८ वां है वयस्क साक्षता दर दलित एवं महिलाओं का २४% रहा है जब की राष्ट्रयि दर ३९% महिलाओं का रहा है |

<u>2001 में साक्षरता दर - गुजरात</u>		भारत	
कुल	**69.01%**	कुल	**64.08%**
पुरुष	**79.07%**	पुरुष	**75.03%**
स्त्री	**57.08%**	स्त्री	**53.07%**

३. स्त्री पुरुष अनुपात :

	2001 में स्त्री पुरुष प्रमाण-भारत	**2001 में स्त्री पुरुष प्रमाण-गुजरात**
कुल	**01,028,610,328**	**50,671,017**
पुरुष	**00,352,156,772**	**26,385,577**
स्त्री	**00,496,453,556**	**24,285,440**
स्त्री-पुरुष	**00,000,000,933**	**00,000,920**
अनुसूचित जाति	**00,000,000,936**	**00,000,925**

भारत में एक हजार पुरुष के सामने स्त्री का प्रमाण लगभग ९३६ हे जिसमे गुजरात में ९२५ ही है | उपरयुक्त अंक तलक के अभ्यानुसार पुरुषप्रधान समाज में जीनेवाली दलित नारी की संख्या बहुत कम पाई जाती है | क्योंकि पुत्र जन्म पर समाज आज भी रत है | ऐसी स्थिति में स्त्री-पुरुष में समानता आना अति मुश्किल लग रहा है |

४. पोषणक्षम आहार का अभाव :
समग्र भारत में दलितवर्ग में अपर्याप्त पोषण भी एक अहम् पहलु है | ई.स.१९९८-९९ के अनुसार ५२% और गुजरात में ४९% पोषण में अपर्याप्तता का प्रमाण पाया जाता है | जब की अन्य समुदायों में भारत ४३% और गुजरात में ४१% रहा है |

व्यक्ति को जीने के लिए २३०० से २४०० कैलरी की आवश्यकता होती है जबकि दलित वर्ग में पोषणक्षम अभाव से आरोग्य, कार्यक्षमता, उत्पादन, रोग प्रतिकारक शक्ति इत्यादि महत्वपूर्ण पहलु पर भारी असर होता है | इस प्रकार पोषणक्षम आहार के अभाव हो दलित वर्ग में अपेक्षित आयुष्य में भारत और खास करके गुजरात में निम्नस्तर दिखाई पड़ता है |

५. जन्म समय अपेक्षित आयुष्य (वर्ष में)

	अनुसूचित जाति	अन्य	कुल
भारत	59	62	61
गुजरात	58	63	62

६. दलित विरुद्ध जुर्म :
स्त्रीयों पर बलात्कार - १९९२- २०००

1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1998	2000	कुल
849	798	892	873	949	1037	923	1000	1083	8504

2001	2002	2003	2004
1316	1331	1089	1157

दलित विरुद्ध के जुर्म में अन्य की तुलना में बलात्कार का प्रमाण अधिक पाया जाता है | क्योंकि दलितवर्ग का परावलंबी जीवन, निम्न स्थान एवं सलामती के अभाव के कारन |

७. जन्मदर - 1998-1999

स्थान	अनुसूचित जाति	अन्य	कुल
भारत	83	68	73
गुजरात	80	61	64

मनोरंजन के साधनों के अभाव, आय अनिश्चितता जैसे अनेक कारणों से जन्मदर का प्रमाण अधिक है जिसमे से भी स्त्रीयों को अनेक प्रश्नों को सहना पड़ता है |

८. दलित वर्ग का कार्य सहयोग (W.P.R) प्रतिशत में :

स्थान	अनुसूचित जाति	अन्य	स्त्री
गुजरात	39.06%	20.03%	27.00%
भारत	40.04 %		
कुल	79.07 %		

९. गुजरात में सीमांतीकरण (प्रतिशत में) :

Distribution of Total Main & Marginal Workers among S.C.'s

	कुल कामदार	मुख्य कामदार	अन्य कामदार
कुल	39.06%	79.07%	20.03%
पुरुष	51.03%	91.06 %	03.04%
स्त्री	27.00 %	55.03%	44.07%

स्त्री का सीमांतीकरण 44.07 प्रतिशत सबसे अधिक है |

१०. गरीबी रेखा - 1999-2000 :

स्थान	अनुसूचित जाति	ओ.बी.सी.	अन्य	कुल
भारत	31	21	10	22
गुजरात	18	12	05	14

उपरयुक्त शोध के अनुसार ग्राम्य क्षेत्र में 36% शहरी क्षेत्र में 38.03% अनुसूचित जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जी रही है |

११. जन्मदर - 1998-1999 :

स्थान	अनुसूचित जाति	अन्य	कुल
भारत	83	68	73
गुजरात	80	61	64

अनुसूचितो में महदअंश विवाह छोटी उम्र में होने के कारण जन्मदर अधिक पाया जाता है |

१२. ग्राम्य एवं शहरो में निवास (2007-NSS0)

स्थान	अनुसूचित जाति	अन्य	कुल
भारत	83	68	73
गुजरात	80	61	64

१३. आर्थिक विकास :
भारत प्रति व्यक्ति खर्च एकमात्र का - 1052.36 रूपये
ग्राम्य प्रति व्यक्ति खर्च एकमात्र का - 0558.78 रूपये

१४. संपूर्ण भारत औसत खर्च :

	ग्राम्य	शहर
आ.जाति	574.72	758.38
ओ.बी.सी.	556.72	870.93
अन्य	685.31	1306.01

१५. कृषि :
ग्राम्य क्षेत्र में कृषि - 64.03 %
शेष क्षेत्र में कृषि - 39.04 %

	कृषजिन्य रोजगार	नॉन कृषजिन्य रोजगार
अनुसूचित जाति	56.64	36.56
ओ.बी.सी.	30.07	60.07
अन्य	21.08	66.04

वयस्क साक्षरता दर दलितो एवं महिलाओमें २४% है | जबकि राष्ट्रीय दर ३९% महिलाओ का रहा है |

गरीबी रेखा के नीचे 36% लोग शहरो में दयनीय स्थिति में जी रहे है | जबकी संपूर्ण भारतमे से ग्राम्य 27% लोग गरीबी की रेखा नीचे जी रहे है |

जहाँ तक रोजगार का प्रश्न है 27% दलितो को एक साल के छः माह तक से भी कम समय की मजदूरी का अवसर प्राप्त है | 45% दलितोके पास स्वयं की कृषि (भूमि) नही है | दलितो के अलावा 20% लोग ही भूमहीन मजदुर है | दलित वर्ग एवं आदिवासियों में भयंकर निराशा स्वाभाविक ही है |

वेतनधारी दलित 30.09% है आजादी के ६० साल के कार्यों की समीक्षा का निष्कर्ष है की आज भी भारत में सामंती राज है |

दलति एवं दलति नारयिों की सथतिि आज भी दयनीय दरषटगिोचर हो रही है | नौकरी, पेशा, सवतंतर रूप से सकषमो का परमाण डाला है |

- दलतिो एवं दलति नारी वरतमान समसयाए हल करने के उपाय :-

1. नई वचिारधारा को अपनाना होगा |
2. सोच समजकर परशनों के समाधान करने होगे |
3. शकिषा का परमाण बढ़ना होगा |
4. सरकारी नीतिओ का सामना करना होगा |
5. परशनोंनुसार वरिोध परदरशति करना होगा |
6. नेतृतव शकति गरहण करनी होगी |
7. लोक संगठन करना होगा |
8. वरषि्ठों एवं कारयकरोकी मदद से आगे बढ़ना होगा |
9. महलिाओ जनम से लेकर जीने तक पराधानय देना होंगा |
10. हम सबको सवतंतर जमि्मेवारी लेनी होगी |

REFERENCES

(1) सामाजकि समसयाएँ, राम आहूझा, रावत पबलकिशनस, पृषठ-१५१ से १७२ जयपुर एवम् नई दलिली (१९९४), (२) गुजरात में दलति असमतिा : उदभव, घडतर और संवरधन की परकरयिा, अरजुन पटेल सेनटर फरि सोशयल सटडीस, सूरत (२००४) (३) कोमी रमखानों की राजनीति: नशिान - मुसलमि, लकषयांक जाति, अरजुन पटेल, बहुजन नवजागृति परकाशन, सूरत (२०००) (४) गुजरात में अनुसूचति जातयिाँ : डॉ. मनुभाई, मकवाना, सुरभि परकाशन, वडोदरा (२०००) (५) गुजरात के वणकरो - एक अधययन, डॉ.मनुभाई मकवाना, सुरभि परकाशन, वड़ोदरा (२००४) (६) आजादी की आधी सदी और गुजरात में दलतिो की परसि्थति: संपादक-जयोतसना एफ. मेकवान, इसुदान आर. वाघेला, सुरभि परकाशन, वड़ोदरा (२००९ (७) परवरितन की और दलति समाज : परो.एम.के.परमार, पारशव पबलकिशन, अहमदाबाद (२००५) (८) शहरी दलति युवको : कथा और वयथा डॉ.एच.एल.चावडा, सुरभि परकाशन, वड़ोदरा (२००४) (९) दलति समाज, परसि्थति और परशनों : डॉ.एच.एल.चावडा, अनवेषण अधषि्ठान, भावनगर (२००६)